

विधान सभा आम चुनाव, 2018

अभ्यर्थी/राजनैतिक दलों द्वारा वीडियों वैन की अनुमति के लिए आवेदन-पत्र सेवामें,

श्रीमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

1	अभ्यर्थी/आवेदक का नाम व पता	
2	मोबाईल नम्बर	
3	ई-मेल आई.डी. (बड़े अक्षरों में)	
4	राजनैतिक दल का नाम व कार्यालय का पता	
5	वाहन का प्रकार व नम्बर	
6	वाहन में स्वीकृत सीटों की संख्या	
7	वाहन चालक का नाम व अनुज्ञा पत्र क्रमांक	
8	वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर	
9	जिले एवं विधान सभा क्षेत्रों का नाम व नम्बर, जहाँ वीडियों वैन का उपयोग किया जायेगा	
10	वीडियो वैन पर जो उपकरण एवं विज्ञापन सामग्री लगाई जायेगी, उसका विवरण (विज्ञापनों के नमूने की प्रति संलग्न करें)	
11	वीडियो वैन पर लगाये जाने वाले उपकरणों एवं विज्ञापन सामग्री पर किया जाने वाला व्ययः— — प्रतिदिन की दर से — एकमुश्त व्यय कुल व्यय	
12	विज्ञापनों के लिये एम.सी.एम.सी. द्वारा किया Pre-Certification क्रमांक एवं दिनांक (प्रति संलग्न)	
13	परिवहन विभाग का फिटनेस प्रमाण-पत्र क्रम संख्या व दिनांक (प्रति संलग्न करें)	
14	अनुमति चाहने की अवधि	
15	तिथिगार रूट-चार्ट (संलग्न करें)	
16	अन्य विवरण	

दिनांक:

हस्ताक्षर अभ्यर्थी/आवेदक :

स्थान:

नाम :

राजनैतिक दल में धारित पद :

घोषणा

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि वीडियो वैन के द्वारा चुनाव प्रचार में आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों एवं अन्य कानूनी प्रावधानों की पालना की जायेगी। समस्त भुगतान चैक के द्वारा किये जायेंगे।
संलग्न— उपरोक्तानुसार।

दिनांक:

हस्ताक्षर अभ्यर्थी/आवेदक :

स्थान:

नाम :

राजनैतिक दल में धारित पद :